रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2627] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2016/कार्तिक 12, 1938
No. 2627] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2016/KARTIKA 12, 1938

lM+d ifjogu vkj jkt+kekxZ e=kky;

vf/klwpuk

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2016

dk-vk- 3381¼v½—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 800 (अ), तारीख 11 अप्रैल 2012 और का.आ.संख्या 2378 (अ), तारीख 12.07.2016, द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–13 (नया रारा–50) के 299.000 कि.मी. से 418.750 कि.मी. (होस्पेट–चित्रदुर्गा सेक्षन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में रारा–13 (नया रारा–50) के होस्पेट–चित्रदुर्गा सेक्षन (299.000 कि.मी. से 418.600 कि.मी.) के विकास के लिए (जिसे इसमें इसके पष्चात् ''उक्त खण्ड'' संदर्भित किया गया है), 29.09.2011 को प्रस्तुत बोली हेतु, डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर, उक्त खण्ड को चार लेन के विकास करने और प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स होस्पेट चित्रदुर्गा टोलवेज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 6–3–1089/जी/10 एवं 11, गुलमोहर एवेन्यू, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद–500082, आंध्र प्रदेष, भारत, में है (जिसे इसमें इसके पष्चात् ''रियायतग्राही'' संदर्भित किया गया है) के साथ 19.01.2012 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पष्चात् ''उक्त करार'' संदर्भित किया गया है), तदनुसार मैसर्स होस्पेट चित्रदुर्गा टोलवेज लिमिटेड को प्राधिकृत करते हुए का.आ. 2221 (अ), तारीख 22.07.2013 द्वारा एक अधिसूचना प्रकाषित की गई थी। तथापि संविदा करार तारीख 19.01.2012, को 31.12.2013 को समाप्त कर दिया गया और अधिसूचना संख्या का.आ. 2221 (अ), तारीख 22.07.2013 को कार्यान्वित नहीं किया गया।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, कर्नाटक राज्य में रारा––50 (पुराना रारा–13) के होस्पेट–चित्रदुर्गा सेक्षन के (299.000 कि.मी. से 418.750 कि.मी.), (जिसे इसमें इसके पष्चात् ''उक्त खण्ड'' संदर्भित किया गया है), का डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर, उक्त खण्ड का चार लेन में विकास करने, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 30.03.2015 को प्रस्तुत बोली के लिए मैसर्स हेम्पी एक्सप्रेसवेज प्रा0 लि0. जिसका पंजीकृत कार्यालय 6–एल्फिनस्टोन बिल्डिंग, दूसरा तल, 10 वीर नरीमन रोड, मुम्बई–400001, भारत में है (जिसे इसमें इसके पष्चात् ''रियायतग्राही'' संदर्भित किया गया है), के साथ 10.06.2015 को करार किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, .2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.

का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 तथा सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर 2014 द्वारा संषोधन किया गया था (जिसे इसमें इसके पष्चात् ''उक्त नियम'' संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 2221 (अ), तारीख 22.07.2013 का अधिक्रमण करते हुए सिवाय उन बातों के जो अधिक्रमण से पहले कर ली गई है या करने से लोप करा दी गई है, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेषित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क की निवल लम्बाई 119-937 fd-eh- ¼59-924 fd-eh- $ 60-013 fd-eh-½ और संरचना की समकक्ष लम्बाइ 2-430 fd-eh- ¼1-761 fd-eh- $ 0-669 fd-eh-½ (जिसमें 60 मीटर से अधिक लम्बाई की 0.2430 कि.मी. संरचना की लम्बाई शामिल है) के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर (जिसे इसमें इसके पष्चात् ''आधार दर'' संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, जो भी बाद में हो, उक्त करार के अनुसार, समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

lkj.kh 1

okgu dk izdkj	vk/kkj o"k 2007&08 dh fy, çfr fd-eh- 'kYd dh vk/kkj nj ¼#i, e½
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क उपर्युक्त सारणी (1) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर अनुसार, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

Vkyh lykt k ¼lykt kvk½ dk voLFkku ¼fM t kbu p;u t½	yEckbZ ¼fdyksehVj e½ ft l d fy, 'kYd lnS; g
320.000 कि.मी. (बेल्लारी जिले में थिमालापुरा गांव के पास) (विद्यमान 320.018 कि.मी.)	59.924 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)
383.200 कि.मी. (देवनगेरे जिले में कनानकट्टी गांव के पास) (विद्यमान 320.466 कि.मी.)	60.013 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)

2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

Vkyh lykt k dk voLFkku ¼p;u t½	lM d dh led{k yEckbZ e ifjofrr fd, tkus gsrq lajpukvksa dh yEckbZ ¼fd-eh- e½	lM d dh led{k yEckbZ ¼fd-eh- e½
320.000 कि.मी. (बेल्लारी जिले में थिमालापुरा गांव के पास)	0.1761*	1.761
383.200 कि.मी. (देवनगेरे जिले में कनानकट्टी गांव के पास)	0.0669*	0.669

* 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

Vkyh lykt k dk voLFkku ¼p;u t½	विवरण	डिजाइन चैनेज	कि.मी. पर चैनेज	60 मीटर से अधिक की संरचना की सामान्य लम्बाई (कि.मी. में)	60 मीटर से अधिक की संरचना की समतुल्य लम्बाई (कि.मी. में)
रारा–50 का 320.000 कि.मी. (पुराना रारा–13)	बड़ा पुल	306.200 कि.मी. से 307.025 कि. मी. तक	306.200	0.0825	0.825
	आर ओ	308.754 कि.मी.	308.754	0.0936	0.936

IndiaCode

	बी	से 309.690 कि. मी. तक			
रारा–50 का 383.200 कि.मी. (पूराना रारा–13)	बड़ा पुल	388.800 कि.मी. से 389.469 कि. मी. तक	306.200	0.0669	0.669
			कुल	0.2430	2.430

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016–17 के लिए मासिक पास की दर 235.00/– रूपए (दो सौ पैतीस रूपए मात्र) होगी और इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय के समय से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेष कराने के लिए नियमों के अधीन, टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाषित करवाया जाएगा। तत्पष्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायतकरार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा तथा प्रकाषित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पूर्ववर्ती संषोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई संषोधन नहीं किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्राप/13013/760/15–16/सीओ/जीसी चित्रादुर्गा [पीटी–II] (299.000–418.600)बीओटी]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2016

S.O. 3381(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway number S.O. 800 (E) dated 11th April, 2012 & number S.O. 2378 (E) dated 12.07.2016, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 299.000 to kilometer 418.750 (Hospet–Chitradurga Section) of NH- 13 (New NH - 50) in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 19.01.2012 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Hospet Chitradurga Tollways Limited having its registered office at 6-3-1089/G/10&11, Gulmohar Avenue, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad – 500082, Andhra Pradesh, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 29.09.2011 for the development of the Hospet – Chitradurga (Km 299.000 to Km 418.600) Section of NH - 13 (New NH – 50) in the State of Karnataka (hereinafter referred to as the "said section") to Four lane standards and operation and maintenance of the said section on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis. Accordingly, a notification authorizing M/s Hospet Chitradurga Tollways Limited was published vide S.O. No. 2221(E) dated 22.07.2013. However, the contract agreement dated 19.01.2012 was terminated on 31.12.2013 and notification no. S.O. 2221(E) dated 22.07.2013 has not been implemented.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 10.06.2015 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Hampi Expressways Private Limited having its registered office at 6-Elphinstone Building, 2nd Floor, 10, Veer Nariman Road, Mumbai- 400001, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 30.03.2015 for the development of the Hospet – Chitradurga (Km 299.000 to Km 418.750) Section of NH - 50 (Old NH – 13) in the State of Karnataka (hereinafter referred to as the "said section") to Four lane standards and operation and maintenance of the said section on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014 & G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014 (hereinafter referred to as the " said Rules") and in supersession of the notification number S.O. 2221 (E) dated 22.07.2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four or more lane of the said section having net road length of ***119.937 Km (59.924 Km + 60.013 Km)*** and for ***2.430 Km (1.761 Km + 0.669 Km)*** equivalent length of structure (having 0.2430 Km of structure length of more than 60 m length) at the rates specified in columns (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as per the said agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza, at the base rates specified in Table 1 above, for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 320.000 (near Thimmalapura village in Bellary district) (Existing Km 320.018)	**59.924** (Excluding length of structures >60m)
Km 383.200 (near Kananakatte village in Davangere district) (Existing Km 320.466)	**60.013** (Excluding length of structures >60m)

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km)
Km 320.000 (near Thimmalapura village in Bellary district)	0.1761*	1.761
Km 383.200 (near Kananakatte village in Davangere district)	0.0669*	0.669

* The details of structure having length > 60m is as under:-

Location of toll plaza (Chainage)	Particulars	Design Chainage	Chainage at Km	Normal Length of structure > 60 m (in Km)	Equivalent Length of structure > 60 m (in Km)
Km 320.000 of NH-50 [Old NH-13]	Major Bridge	Km 306.200 to Km 307.025	306.200	0.0825	0.825
	ROB	Km 308.754 to Km 309.690	308.754	0.0936	0.936
Km 383.200 of NH-50 [Old NH-13]	Major Bridge	Km 388.800 to Km 389.469	306.200	0.0669	0.669
			Total	**0.2430**	**2.430**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty only) for the year 2016-17, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

IndiaCode

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the Toll Plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll Collecting agency, equal to 10 times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published provided, that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/760/15-16/CO/GC Chitradurga [Pt.-II] (299.000-418.600) BOT]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.11.05 10:20:27 +05'30'